

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली मुख्यालय- बैढन(म.प्र.)

--: विविध आदेश ::-

क्र./ / सीजेएम / 2024

सिंगरौली, दिनांक : 26.04.2024
04.05.2024

मैं **महेन्द्रपाल सिंह**, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढन (म.प्र.) कार्य सुविधा की दृष्टि से माह मई 2024 में सार्वजनिक अवकाश में जिला सिंगरौली मुख्या. बैढन एवं तहसील न्यायालय देवसर में 03.00 पी.एम. बजे से 05.00 पी.एम. बजे तक या जब तक कार्य पूर्ण हो, रिमाण्ड कार्य/आवश्यक कार्य निष्पादन हेतु निम्नानुसार मजिस्ट्रेटगण की ड्यूटी निर्धारित करता हूं कि -

सिंगरौली मुख्यालय बैढन -

क0	न्यायिक अधिकारी	माह मई 2024
		रिमांड दिनांक
1.	श्री नीरज पवैया, जे.एम.एफ.सी. बैढन	19.05.2024
2.	श्री कृष्णा अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. बैढन	26.05.2024
3.	श्रीमती बाबीं जुनेजा अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. बैढन	12.05.2024
4.	सुश्री आयुषी उपाध्याय, जे.एम.एफ.सी. बैढन	05.05.2024
5.	सुश्री राजश्री भार्गव, जे.एम.एफ.सी. बैढन	23.05.2024
6.	सुश्री प्रिन्सु मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. बैढन	18.05.2024

तहसील देवसर, जिला सिंगरौली -

क0	न्यायिक अधिकारी	माह मई 2024
		रिमांड दिनांक
1.	श्री विष्णुकान्त मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	23.05.2024, 26.05.2024
2.	श्रीमती अदिती तिवारी, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	05.05.2024, 12.05.2024
3.	श्री अंकुर तिवारी, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	18.05.2024, 19.05.2024

नोट:-

1. यदि पुलिस रिमांड दिया जाता है तो पुलिस रिमांड की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से भेजी जावे।
2. रिमाण्ड डियूटी मजिस्ट्रेट रिमाण्ड के समय धारा 157 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पेश होने वाली एफ.आई.आर. की प्रति, 60/90 दिवस की निर्धारित अवधि के अभियोग पत्र भी प्राप्त करेंगे एवं धारा 164 दं०प्र०सं० के अंतर्गत कथन भी लेखबद्ध करेंगे।
3. उपरोक्त रिमाण्ड कार्य संपादित करने हेतु न्यायिक दण्डाधिकारी आपसी सहमति से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचित करते हुए आपस में रिमाण्ड डियूटी बदल सकते हैं।
4. किशोर न्यायबोर्ड से संबंधित प्रकरणों में रिमाण्ड कार्य/प्रतिप्रेषण प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड करेंगे। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के अवकाश की दशा में रिमाण्ड डियूटी कर रहें न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली द्वारा किया जावेगा।
5. यदि किसी कारणवश **माह मई, 2024** में नियत अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो **माह मई 2024** में मुख्यालय बैदन का रिमाण्ड कार्य **सुश्री राजश्री भार्गव, जे.एम.एफ.सी. बैदन जिला सिंगरौली म०प्र०** के द्वारा निष्पादित किया जाएगा एवं देवसर मुख्यालय में **श्रीमती अदिति तिवारी, जे.एम.एफ.सी. देवसर जिला सिंगरौली म०प्र०** के द्वारा रिमांड डियूटी निष्पादित किया जाएगा।

जिला

S.d—

(महेन्द्रपाल सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिंगरौली, मुख्या. बैदन (म०प्र०)
सिंगरौली, दिनांक : 26/05/2024

पृ.क्र./5/15/2024

प्रतिलिपि:-

1. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मुख्या० बैदन, जिला सिंगरौली म.प्र. को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली।
3. श्री नीरज पवैया, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
4. श्री कृष्णा अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
5. श्रीमती बाबी जुनेजा अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
6. सुश्री आयुषी उपाध्याय, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
7. श्री आयुष कनेल, प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्यायबोर्ड, मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
8. सुश्री राजश्री भार्गव, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
9. सुश्री प्रिंसू मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय बैदन, जिला सिंगरौली म०प्र०।
10. श्री विष्णुकांत मिश्रा जे.एम.एफ.सी., देवसर, जिला सिंगरौली।
11. श्री अंकुर तिवारी, जे.एम.एफ.सी., देवसर, जिला सिंगरौली।
12. श्री अदिति तिवारी, जे.एम.एफ.सी., देवसर, जिला सिंगरौली।
13. पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंगरौली जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
14. जिला नाजिर, जिला न्यायालय बैदन/देवसर जिला सिंगरौली को उपरोक्त तिथियों में संबंधित न्यायालय खुले रखने हेतु सूचनार्थ।
15. सिस्टम एनालिस्ट, सर्वर रूम जिला न्यायालय बैदन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।
16. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैदन/देवसर की ओर सूचनार्थ।

(महेन्द्रपाल सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिंगरौली, मुख्या. बैदन (म०प्र०)